

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 39/2024

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2024/93

बउनवान

राज० सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार आमेरिया पुत्र श्री युवराज आमेरिया जाति माली(विक्रेता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं. 16, टंकी के पास, सोरती बावड़ी, मांगरोल जिला बारों मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बंबोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारों (राज.)
2. मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बंबोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारों(राज.)
3. मैसर्स मथुरेश ट्रेडिंग कंपनी, बी-299, प्रेमनगर अफोरडेबल कोटा (राज.)
4. मैसर्स शिवम एडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज, एच 1-210, एगो फूड पार्क इण्डस्ट्रियल एरिया, रानपुर कोटा (राज.)
(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 12.07.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक श्री नीरज कुमार नागर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.01.2023 को मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बंबोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री नरेन्द्र कुमार आमेरिया पुत्र श्री युवराज आमेरिया (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.01.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** के 10 मूल पैक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** के 04 भाग वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री नरेन्द्र कुमार आमेरिया पुत्र श्री युवराज आमेरिया (विक्रेता एवं मालिक) को 840/- रुपये (अक्षरे आठ सौ चालीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** के प्रत्येक नमूना भाग पर नियमानुसार लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1837 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1837 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नरेन्द्र कुमार आमेरिया पुत्र श्री युवराज आमेरिया (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/253 दिनांक 12.06.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1043/PHL/kota/Act/2023/1046 दिनांक 05.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 15.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा अप्रार्थी क्रम 3 व 4 से **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** को बंद पैकिंग में खरीद कर अपनी दुकान पर बेचान करते हैं। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा उक्त प्रोडक्ट को जांच कर सही पाये जाने पर हीं बेचने के लिए भेजते हैं। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 द्वारा किसी भी प्रकार का मिलावटी प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता है जो आम जनता के लिए घातक हो। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा अप्रार्थीगण पर मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। अतः निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1043/PHL/kota/Act/2023/1046 दिनांक 05.06.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल फिल्टर्ड मूंगफली तेल (Malwa Fresh) 01-01 लीटर मूल पॉली बोतल पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1043/PHL/kota/Act/2023/1046 दिनांक 05.06.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4 को राशि कुल जुर्माना राशि 1,00,000/- रुपये (अक्षरे मात्र एक लाख रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4 उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **12.07.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)